उत्तर प्रदेश शासन

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2

संख्या- 22/2017/सीपी 272/84-2-2017-सीपी 2/2014

लखनऊ - दिनांक 23 अगस्त, 2017

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

श्री नुसरत उल्लाह खान पुत्र श्री सलामत उल्लाह खान मो0 मुसलिम चौधरियान पिरका बाजार पो0 त्योहारा, तहसील धामपुर, बिजनौर की नियुक्ति शासन की अधिसूचना संख्या-68/सीपी 1034/84-2-2014-सीपी 2/2014, दिनांक 19-11-2014 द्वारा जिला उपभोक्ता फोरम, अलीगढ़ में सामान्य सदस्य (पूर्णकालिक) के पद पर की गई थी। उक्त आदेश के अनुपालन में श्री नुसरत उल्लाह खान ने जिला उपभोक्ता फोरम, अलीगढ़ में दिनांक 20-12-2014 की पूर्वान्ह में कार्यभार ग्रहण किया गया। जिला उपभोक्ता फोरम, हाथरस के सामान्य सदस्य एवं महिला सदस्य की नियुक्ति न होने के कारण राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-2914/एस0सी0डी0आर0सी0/यू0पी0/अधि0/104/11 पार्ट-2 दिनांक 31-8-2015 द्वारा श्री नुसरत उल्लाह खान को जिला उपभोक्ता फोरम, हाथरस में सामान्य सदस्य के पद पर सम्बद्ध किया गया। श्री नुसरत उल्लाह खान ने दिनांक 18-9-2015 को जिला उपभोक्ता फोरम, हाथरस में सामान्य सदस्य के पद पर कार्यभार ग्रहण किया गया। तत्पश्चात् श्री खान दिनांक 18-9-2015 के पश्चात से बिना किसी सूचना के अनुपस्थित चल रहे हैं।

2- निबंधक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 ने अपने पत्र संख्या 3545/एससीडीआरसी/अधि0 63/14, दिनांक 08-10-2015 एवं पत्र संख्या 695/ एस0सी0डी0 आर0सी0/अधि0 63/14, दिनांक 16-5-2016 तथा पत्र संख्या- 10835/एस0सी0डी0 आर0सी0/अधि0 63/14 दिनांक 15-2-2017 द्वारा श्री नुसरत उल्लाह खान को कारण बताओं नोटिस दी गयी परन्तु श्री खान द्वारा उपर्युक्त कारण बताओं नोटिस का कोई उत्तर नहीं दिया गया।

3- अतः श्री नुसरत उल्लाह खान को दिनांक 18-9-2015 के पश्चात से निरन्तर अनुपस्थित रहने के फलस्वरूप शासन के पत्र संख्या- सी.पी. 174/84-2-17-सी.पी. 2/14 दिनांक 19-4-2017 द्वारा कारण बताओं नोटिस इस आशय से दी गई कि उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, 1987 के नियम 3(5)(छ) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जिला उपभोक्ता फोरम, अलीगढ़ के सामान्य सदस्य के पद पर की गयी नियुक्ति शासन द्वारा क्यों न निरस्त कर दी जाये। यह कारण बताओ नोटिस से संबंधित पत्र दिनांक 19-4-2017 उन्हें रजिस्टर डाक के माध्यम से प्रेषित किया गया। इस कारण बताओं नोटिस का श्री नुसरत उल्लाह खान द्वारा अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया गया है। इससे यह प्रतीत होता है कि श्री नुसरत उल्लाह खान जिला उपभोक्ता फोरम में सदस्य के पद पर कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं हैं।

4- उपर्युक्त वर्णित स्थिति के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन की अधिसूचना संख्या-68/सी.पी. 1034/84-2-2014-सी0पी02/2014 दिनांक 19-11-2014 द्वारा जिला उपभोक्ता फोरम, अलीगढ़ में सामान्य सदस्य (पूर्णकालिक) श्री नुसरत उल्लाह खान की, की गयी नियुक्ति को श्री राज्यपाल महोदय जनहित में एतदद्वारा निरस्त् करते हैं।

निवेदिता शुक्ला वर्मा
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक यथोक्त</u>

प्रतिलिपि . निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

(1)निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, विक्रान्त खण्ड, 1ए गोमतीनगर, लखनऊ ।

(2)जिलाधिकारी, अलीगढ़ ।

.....2.....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) कोषाधिकारी, अलीगढ़।

(4) कार्यालय जिला उपभोक्ता फोरम अलीगढ़। (द्वारा निबन्धक, राज्य आयोग)।

(5) श्री नुसरत उल्लाह खान, पुत्र श्री सलामत उल्लाह खान, मो0 मुसलिम चौधरियान (पिरका बाजार), पो0- स्योहारा, तहसील-धामपुर, बिजनौर। (द्वारा निबन्धक, राज्य आयोग)।

(6) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

वेद प्रकाश शर्मा
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।